तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Vikas / Karan - CO-15/19 CIS-19/19	
17/4/2026	वादी / प्रतिवादी अधि० उपा०। प्रतिवादी साक्ष्य में गवाह उपा० है। इस स्तर पर वादी अधि० ने प्रा० पत्र अन्तर्गत O-6 R-17 सप० धारा 151 CPC पेश की गयी जिसकी नकल प्रतिवादी अधि० को दिलायी गयी तथा प्रतिवादी अधि० उक्त प्रा० पत्र का जवाब नहीं देना चाहते है। वादी अधि० ने प्रा० पत्र अन्तर्गत O-6 R-17 सप० धारा 151 CPC प्रस्तुत करके मुख्य रूप से कथन किया कि प्रतिवादी करण के पिता का नाम प्रकाश चंद अंकित किया गया, जबकि प्रतिवादी के पिता का नाम कृष्ण कुमार चंद है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत O-6 R-17 सप० धारा 151 CPC स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी अधि० द्वारा उक्त प्रा० पत्र का जवाब न देकर मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि प्रा० पत्र विलम्ब से पेश किया गया जिसका कोई कारण नहीं बताया है तथा प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र में प्रतिवादी के पिता का नाम गलत होना बताया है। तत्पश्चात उक्त प्रा० पत्र पेश किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रा० पत्र खारिज किया जावे। वादी अधि० ने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को ~~[illegible]~~ बहस के दौरान दोहराया। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली व संबंधित Sd/- 17/4/2026 अपर जिला न्यायाधीश संख्या-[illegible] [illegible] (अजमेर) राज.	Sd/- Sd/- (गजेन्द्र पाराशर) (अभिभाषक [illegible])

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Vikas / Karun - Co-15/19 CIS-13/19	
17/4/2026	पत्रावली अवलोकन की गई।	
	वादी उक्त प्रा. पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के पिता का नाम गलत अंकित हो गया जिसे संशोधित करना चाहते हैं वाद में प्रतिवादी के पिता का नाम प्रकाश शंकर अंकित है, जबकि प्रतिवादी के पिता का नाम कृष्ण कुमार शंकर होना बताया है। उक्त मात्र एक टंकण त्रुटि हो सकती है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त संशोधन से प्रतिवादी के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	
	अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत O.6 R-17 सहपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के पिता का नाम प्रकाश शंकर के स्थान पर कृष्ण कुमार संशोधित किये जाने की अनुमति दी जाती है। लिपिक उक्त संशोधन लाल स्याही से करें।	
	प्रतिवादी साक्ष्य में गवाह DW1 - करण के बयान परीक्षा Commissioner श्री राजेन्द्र पाराशर द्वारा लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गयी। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु दिनांक 27/4/2026 को पेश हो।	
	Sd/- 17/4/2026	
	अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.1, केकड़ी (राज.)	